(e) and (f) The steps taken to enhance the competitive environment and make credit available at reasonable terms include, interalia, reduction in the banks' statutory liquidity ratio (SLR) and cash reserve ratio (CRR) and abolition of minimum lending rates for amounts over Rs. 2.0 lakhs. The rates of advances for smaller amounts have been reduced.

आयकर अधिकरणों द्वारा हिन्दी में दिया गया निर्णय

1724. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी भाषी राज्यों में स्थापित आयकर अधिकरणों द्वारा कितने प्रतिशत निर्णय हिन्दी में दिये गये है;

(ख) क्या यह सच है कि आम तौर से आयकर अधिकरण "अंग्रेजी" भाषा में अपना निर्णय देते है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) "हिन्दी भाषी" राज्यों में स्थापित अधिकरणों द्वारा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और यदि कोई कदम नहीं उठाये गये है, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित आय-कर अपील अधिकरण की न्यायपीठों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई मूल निर्णय हिन्दी में नहीं दिए गए हैं। तथापि, हिन्दी भाषी राज्यों में, अंग्रेजी में दिए गए आदेशों का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है और इन आदेशों को आय-कर अपील अधिकरण के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) जी हां। अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में तैनात किए गए सदस्य आवश्यक रूप से हिन्दी भाषी नहीं होते हैं। अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होता है। यदि न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में एक सदस्य को हिन्दी का ज्ञान नहीं है तो उस न्यायपीठ के लिए, हिन्दी में दिए गए तर्कों को ठीक-ठाक समझने या हिन्दी में आदेश देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठों द्वारा हिन्दी का अधिकतम प्रयोग किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठों के समक्ष हिन्दी में तैयार किए गए दस्तावेज फाइल किए जा सकते हैं। यह उपबंधित करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इन राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठें स्वविवेकानुसार, अपने समक्ष कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग को अनुज्ञात कर सकेंगी और हिन्दी में आदेश पारित कर सकेंगी।

(ii) राजभाषा अधिनियम, 1963 राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्विष्ट उपबंधों को हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठों में लागू किया जा रहा है। सभी हिन्दी भाषी राज्यों में सुनवाई, स्थगन, आदि के संबंध में सूचनाएं हिन्दी में ही जारी की जाती हैं। हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का इन न्यायपीठों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है।

MOU signed between India and Morocco

1725. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have entered into an understanding with the Government of Morocco for the development and providing Indian expertise on the different energy sector;

(b) whether Government had deputed Indian experts during the last one year to the Government of Marocco in consultation with the Department of Non-Conventional Energy Sources;

(c) whether any report has been submitted by the Indian experts; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (d) In the second meeting of Indo-Moroccan joint commission held in New Delhi on 26-27 June, 1995 sectors identified with potential for joint ventures and co-operation between two sides included, inter-alia, non-conventional energy sources. On the request of Govt. of Morocco, an Indian expert was deputed to Morocco from December 25—31, 1994 for advising the Moroccan Government on intensive use of solar cookers in Morocco. The visit of the expert generated a lot of interest in the field of renewable energy. In his report, the expert has mentioned that the environmental conditions of Morocco are very appropriate for extensive use of solar cookers and related technology and Indian design of solar cooker is more suitable for them. The report also mentioned that Indian solar cooker and hybrid solar cooker can fulfill the cooking requirements of Moroccan people in the target areas.

Development Board for Eastern Uttar Pradesh

1726. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI AJIT P.K. JOGI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Government propose to constitute any development Board to remove the economic backwardness of Eastern Uttar Pradesh on the lines of Vidharva Development Board; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove the backwardness of this area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Maintenance and repair fund

1728. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any proposal received by the Government to increase the Maintenance and Repairs Funds (M&RF) under the Accelerated Rural Water Supply Scheme from the states;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time likely by which the proposals would be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) The proposals were received from Government of Meghalaya in 1992-93 and Government of Bihar in 1993-94.

(c) The proposals were not cleared as expenditure on operation & maintenance in excess of the prescribed limit of 10% of annual allocation under Accelerated Rural Water Supply Programme is to be met out of State Sector Minimum Needs Programme Funds and non-plan provision made by the State Government.

चुनावों से पूर्व प्रधान मंत्री का जम्मू और कश्मीर का दौरा

1729. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **प्रधान मंत्री** 3 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में दिये गए अतारांकित प्रश्न 537 में दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान-मंत्री चुनावों से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा करने का विचार रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) इस समय, इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है।